उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1707/ग्यारह-2-25-9(47)/17-टी.सी.-292-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(353)-2025

लखनऊः दिनांकः 20 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा(5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना संख्या- क0नि0.-2-848/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(15)-2017 दिनांक 30 जून 2017 में एतद्द्वारा निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, खण्ड (iv) के पश्चात निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

"(V) स्थानीय परिदान के माध्यम से सेवाएं सिवाय वहां जहां इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए दायी हो।"

2. यह अधिसूचना तारीख 22 सितम्बर, 2025 से प्रवृत्त होगी ।

आज्ञा से

(एम० देवराज)

प्रमुख सचिव

Digitally signed by M DEVARAJ Date: 20-09-2025 17:16:12

File No. 11-2099/312/2025-कर एवं निबंधन अनुभाग-2-state tax department (Computer No. 1971711)
Generated from eOffice by SURINDER SINGH, ARO(Surinder)-stateTax, सहायक समीक्षा अधिकारी, राज्य कर विभाग on 20/09/2025 06:43 PM